बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 17 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

ज्ञातव्य है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के पहले चरण के लिए आगामी 19, अप्रैल 2024 को मतदान की तिथि नियत है। इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों का प्रशिक्षण आज दिनांक 17.04.2024 को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के प्रारम्भ में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अशोक प्रियदर्शी ने कोषांगवार सभी पदाधिकारियों / कर्मियों को संबोधित करते हुए उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। पश्चात् अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री आलोक रंजन घोष द्वारा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से लेकर पहले चरण के संसदीय क्षेत्रों में स्थापित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्षों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों के साथ बेहतर समन्वयन बना कर प्राप्त शिकायतों / सूचनाओं के संदर्भ में तत्परतापूर्वक कार्रवाई हेतु निदेशित करते हुए तदनुसार प्रेषणीय प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी / कर्मीगण उपस्थित थे।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) केस रिकॉर्ड है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में क्रमेण भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) एवं वैशाली जिलांतर्गत एक (01) केस रिकार्ड किया गया है अर्थात् कुल दो (02) केस राज्य में रिकार्ड किये गये है तथा तदनुसार दो (02) एफआईआर दर्ज हैं। अवैध बैठक / भाषण आदि के संदर्भ में आठ (08) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), मधेपुरा जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत तीन (03), सहरसा जिलांतर्गत दो (02) एवं सुपौल जिलांतर्गत एक (01)। इस संदर्भ में सात (07) एफआईआर दर्ज हैं।

पुनः आदर्श आचार संहिता के तहत सम्पत्ति विरूपण से संबंधित निजी सम्पत्ति के मामले में दरभंगा जिलांतर्गत दो (02) मामलें प्रतिवेदित हैं।

दिनांक 16.04.2024 को कुल **₹3.57500**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–16072.13(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹33.46997**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹5.75560**(लाख) रूपये मूल्य के 31640.18(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त / अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹178.41301**(लाख) रूपये मूल्य की 383477.01 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹221.21358**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।